न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, शाहपुरा जिला भीलवाड़ा (राज0)

पीठासीन अधिकारी : श्री महावीर प्रसाद नायक R.A.S.

प्रकरण संख्या 91 / 2019

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट, 1956

उनवान

कालूराम पु0 गमेरलाल जाट नि: कोटड़ा तह0 शाहपुरा

— प्रार्थी / प्रार्थीगण

बनाम

रामेश्वर पु0 गणेश लाल गुर्जर नि: कोटड़ा तह0 शाहपुरा

— विपक्षी / विपक्षीगण

उपस्थित :- श्री रामलाल जाट अभिभाषक प्रार्थीगण

निर्णय दिनांक 23-9-19

प्रार्थी / प्रार्थीगण की ओर से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत विपक्षी / विपक्षीगण के प्रस्तुत किया गया, जिसके संक्षेप मे तथ्य इस प्रकार से है :- प्रार्थी / प्रार्थीगण के ग्राम कोटड़ा तहसील शाहपुरा / ——— जिला भीलवाड़ा मे स्थित आराजी खसरा नम्बर 2502, 2503, 2504, 2535, 2534, 2559, 2609, 3256/2533 कुल किता 8 रकबा 7.88 हैक्टयर का प्रार्थी / प्रार्थीगण खातेदार / संयुक्त खातेदार काश्तकार है। वादग्रस्त भूमि के विपक्षी / विपक्षीगण पड़ौसी है। प्रार्थी / प्रार्थीगण एवं विपक्षी / विपक्षीगण के मध्य आराजी के सीमाचिन्ह नही होने से आये दिन सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न होता रहता है अतः पत्थरगढ़ी कराई जावे।

प्रकरण पंजीबद्ध किया जाकर विपक्षी / विपक्षीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। विपक्षी / विपक्षीगण बावजूद सूचना उपस्थित नही होने से एक तरफा कार्यवाही की जाकर बहस अभिभाषक प्रार्थी / प्रार्थीगण सुनी गई। हमने पत्रावली का एवं प्रस्तुत खाते की नकल जमाबन्दी ग्राम कोटड़ा संवत 2076 से 2079 तक का अवलोकन किया उपरोक्त वर्णित आराजीयात के प्रार्थी / प्रार्थीगण खातेदार / संयुक्त खातेदार दर्ज होकर अपनी आराजीयात की पत्थरगढ़ी कराना चाहते है। अतः प्रार्थी / प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर मौजा कोटड़ा मे स्थित प्रार्थी / प्रार्थीगण की उपरोक्त खातेदारी / संयुक्त खातेदारी की आराजीयात किता 8 रकबा 7.88 हैक्टयर की पुख्ता पत्थरगढ़ी पक्षकारान की मौजूदगी मे अगर मौके पर अन्य कोई विवाद न हो व कोई प्रकरण न्यायालय मे विचाराधीन न हो तो कब्जे मे हस्तक्षेप नही करते हुए पत्थरगढ़ी किये जाने हेतु तहसीलदार शाहपुरा / ——— को कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। पत्थरगढ़ी हेतु कमिश्नर फीस 1600/- रूपये कायम किये जाते है जो प्रार्थी / प्रार्थीगण से तहसीलदार शाहपुरा / ——— मौके पर प्राप्त करे। पत्थरगढ़ी मौका पर्चा पेश करे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तफसील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 23-9-19 को सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी एवं
सहायक कलेक्टर
शाहपुरा (भीलवाड़ा)

उप खण्ड अधिकारी शाहपुरा (भीलवाड़ा)

प्रतिलिपि:-तहसीलदार, शाहपुरा / ——— पास भेजकर लेख है कि मुताबिक आदेश पक्षकारान की मौजूदगी मे नियमानुसार पत्थरगढ़ी की जाकर पालना रिपोर्ट शीघ्र भिजावे।

उपखण्ड अधिकारी एवं
सहायक कलेक्टर
शाहपुरा (भीलवाड़ा)

Scanned by CamScanner